

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

पत्रांक- 43766 / लेखा / 2023-24

दिनांक 19/06/2023

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- दैनिक वसूली रजिस्टर तैयार करने के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं० सी-12/लेखा/2023-24, दिनांक 01.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दैनिक वसूली रजिस्टर तैयार करने एवं लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निम्नवत है-

-मदवार दैनिक वसूली रजिस्टर का प्रारूप -

| क्र.सं. | दिनांक | कृषक का नाम | ऋण खाता सं० | खाते की स्थिति PAN/PA | विविध व्यय | प्राप्त किया गया ब्याज | | | | | प्राप्त किया गया मूलधन | | संग्रह शुल्क (Collection charge) | योग |
|---------|--------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------------------|-----|
| | | | | | | पी०ए० खाते का ब्याज | दण्ड/ अतिरिक्त ब्याज (यदि देय है) | INC ब्याज | एन.पी.ए. ब्याज | अग्रिम ब्याज | मूलधन (मॉग के सापेक्ष) | मूलधन (अग्रिम) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

-मदवार दैनिक वसूली रजिस्टर का संशोधित प्रारूप-

| क्र. सं. | दिनांक | कृषक का नाम | ऋण खाता सं० | खाते की स्थिति PAN/PA | विविध आय | वसूल किया गया ब्याज | | | | | | वसूल किया गया मूलधन | | | संग्रह शुल्क (Collection charge) | योग (6+12+15+16) |
|----------|--------|-------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | दण्ड/ अतिरिक्त ब्याज (यदि देय है) | INC ब्याज | पी० ए० खाते का ब्याज | एन. पी. ए. ब्याज | अग्रिम ब्याज | कुल योग (7+8+9+10+11) | मूलधन (मॉग के सापेक्ष) | मूलधन (अग्रिम) | कुल मूलधन (13+14) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

उक्त तालिका के क्रमांक 8 से 11 व 13 से 14 तक के योग की धनराशि, कैश रसीद बुक पर ऋणों के सापेक्ष वसूली अंकित करते हुए कैश रसीद पूर्व की भाँति काटी जाएगी एवं तदनुसार ही कैश बुक में लेखा प्रविष्टि करते हुए जनरल लेजर में पोस्टिंग की जाएगी। कैश बुक के इतर, कालम 8 में वसूल की गयी आई०एन०सी० की धनराशि से INC A/c को डेबिट करते हुए Interest Earned खाते को क्रेडिट किया जायेगा। इसके साथ ही तालिका के क्रमांक-11 अंकित अग्रिम ब्याज की धनराशि से Loan Outstanding A/c को डेबिट करते हुए Interest Earned A/c को क्रेडिट किया जायेगा।

कृपया उक्तनुसार को संशोधित प्रारूप पर सूचना दैनिक रूप से अंकित करते हुए मासिक सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार पाण्डेय)

उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त योजनाधिकारी, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- 3- उप महाप्रबन्धक/प्राचार्य, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
- 4- प्रबन्धक(आई०टी०सेल), उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)